न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
जिला चित्तौडगढ
पीठासीन अधिकारी विनोद कुमार (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या/105/2012 वाद दायर दिनांक 01.05.2012

उनवान

1. केसर बाई पत्नी हांसू जाति जाट आयु वयस्क निवासी चतरभुजपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौडगढ।

1. रामचन्द्र पिता मोहनलाल जाति महाजन आयु वयस्क पेशा काश्त निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
2. वरजी बाई पत्नी जगदीशचन्द्र जाति जाट उम्र वयस्क निवासी चतरभुजपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
3. नोजी पत्नी गोवर्धन जाति जाट आयु वयस्क निवासी चतरभुजपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
4. उगमीबाई पत्नी मोहनगिरी जाति गोस्वामी आयु वयस्क निवासी चतरभुजपुरा तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़।
5. तहसीलदार कपासन जिला चित्तौड़गढ़।

उपस्थितिः– अधिवक्ता श्री गोपाल दाधीच –वादीया
अधिवक्ता श्री अनिल नामधर –प्रतिवादी सं0 1
शेष एकतरफा –प्रतिवादीगण

–: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :–

निर्णय दिनांकः 18.11.2022

–:निर्णयः–

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादीया ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि यह कि यह कि वाके ग्राम चतरभुजपुरा तहसील कपासन के हल्के बैरूनी मे वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज आराजी सं0 433 रकबा 0.05 हेक्टर, आराजी सं0 434 रकबा 3.20 हैक्टर, आराजी सं0 439 रकबा 1.19 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.44 हैक्टर कुल लगानी 45.17 पैसा स्थित है। और उपरांकित आराजीयात वादीया के 1/4 हिस्से से प्रतिवादी सं0 एक के 1/4 हिस्से से व प्रतिवादी सं0 2 व 3 के 1/4 हिस्से से प्रतिवादी सं0 चार 1/4 हिस्से से दर्ज है। लगान संयुक्त जमा करते है।

यह कि मुझ वादीया ने उल्लेखित आराजीयत हिस्सा जमनालाल पिता मोहनलाल महाजन से खरीद किया वक्त बहकर्त्ता से आराजीयात आसरे से अलग अलग बोते जोते आ रहे है मौके पर जो हिस्सा जमनालाल से वादीया ने प्राप्त किया उसमे जमनालाल जी के द्वारा ट्यूबवेल मय विद्युत कनेक्शन जमनालाल जी ने लागत लगाई उसे भी मैंने खरीद किया परन्तु आराजीयात हिस्से का वादीया एवं प्रतिवादीगण के बीच पुख्ता बंटवाडा नही हुआ । किसी प्रकार के सीमा निशानात हिस्से कायम नही हुये अन्दाज़ आसरे से जोते बोते आ रहे है जिससे आये दिन अक्सर प्रतिवादीगण व वादीया के बीच विवाद होता है विवाद पुख्ता बंटवाडा न होने से आराजीयात जोतने बोने फसल लेने में संयुक्त लगान

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:40:59 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

जमा करने में सहखातेदारान से बना हुआ है वादीया बिना विवाद के वादपत्र कॉलम सं0 एक उल्लेखित आराजीयत निहित अपना 1/4 हिस्सा मय ट्यूबवेल मौके कब्जे अनुसार अलग बंटवाडा कराना चाहती है और प्रार्थना करती है ।

यह कि वादीया ने दिनांक 1–2–12 को उल्लेखित आराजीयात का बंटवाडा आपसी सहमति से कराने हेतु सहखातेदारान प्रतिवादीगण को कहा जिस पर सभी तैयार नही हुये और विवादकर कहा कि तुम्हे बंटवाडे की जरूरत है तुम करा लो हमे समय नहीं है जिससे बिनाय दावा पैदा हुई जिसकी शुरूआत दिनांक 01.02.2012 से निरन्तर जारी है।

अन्त में वादीया ने प्रार्थना की है कि –

– कि पक्ष वादीया खिलाफ प्रतिवादीगण के इस अमर की जारी फरमावें कि आराजीयात वर्णित वादपत्र की कॉलम सं० एक का मौके कब्जे अनुसार वादीया के हिस्से 1/4 का हिस्से का बंटवाडा किया जाकर अलग खाते दर्ज फरमावे व लगानबन्दी भी अलग फरमावे।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल नामधर का अधिकार पत्र प्रस्तुत, जवाब प्रस्तुत नहीं किये जाने से दिनांक 23.09.2013 को जवाब बन्द हुआ। प्रतिवादी संख्या 2, 3, 4 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 11.06.2012 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रतिवादी संख्या 1 व 5 बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से दिनांक 11.07.2013 को एकतरफा कार्यवाही की गयी। पत्रावली में राजस्व लोक अदालत अभियान न्याय आपके द्वार 2016 के तहत केम्प धमाना में दिनांक 24.06.2016 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिक्री जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट 18.07.2016 को प्रस्तुत की गई। अतः आज दिनांक 18.11.2022 को वादी व प्रतिवादी सं0 1 के अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर प्रस्तुत बटवाडा रिपोर्ट अनुसार अन्तिम डिक्री जारी किये जाने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। अतः वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिक्री इस आशय की दी जाती है की मौजा चतरभुजपुरा पटवार हल्का तुरकियाखुर्द तहसील कपासन के हल्के बैरूनी मे वर्तमान जमाबन्दी में दर्ज आराजी सं0 433 रकबा 0.05 हैक्टर, आराजी सं0 434 रकबा 3.20 हैक्टर, आराजी सं0 439 रकबा 1.19 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 4.44 हैक्टर में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है–

1. केसरबाई पत्नी हांसू जाति जाट सा0 देह खातेदार रहन यू0बी0आई शाखा कपासन

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म	लगान
1	433	0.05	आ0 खड्ढ़ा	–
2	434/1	0.77	नहरी 2	10.01
3	439/1	0.29	बारानी 3	0.87
योग	कुल किता–3	1.11		10.88

2. नोजीबाई पत्नी गोरधनलाल 1/2, वरजी बाई पत्नी जगदीशचन्द्र 1/2 जाति जाट सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म	लगान
1	434 मीन	0.81	नहरी 2	10.53
2	439 मीन	0.30	बारानी 3	0.90
योग	कुल किता– 2	1.11		11.43

Signature Not Verified
Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:40:59 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

3. उगमीबाई पत्नी मोहनगिरी जाति गोस्वामी सा0 देह खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म	लगान
1	434 / 2	0.81	नहरी 2	10.53
2	439 / 2	0.30	बारानी 3	0.90
योग	कुल किता– 2	1.11		11.43

4. रामचन्द्र पिता मोहनलाल जाति महाजन सा0 कपासन खातेदार

क.स.	आ0स0	रकबा	किस्म	लगान
1	434 / 3	0.81	नहरी 2	10.53
2	439 / 3	0.30	बारानी 3	0.90
योग	कुल किता– 2	1.11		11.43

रहन बदस्तुर रहें तदनुसार अंकन हो। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 18.11.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विनोद कुमार)
सहायक कलक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

Signature Not Verified

Digitally signed by Vinod Kumar
Date: 2023.02.15 13:40:59 IST
Reason: SelfAttested